

# पौधा संरक्षण से संबंधित उपादान वितरण योजना



## किसान का स्व-घोषण पत्र



मैं.....पिता/पति.....

ग्राम.....पंचायत.....प्रखंड.....

जिला.....का निवासी हूँ एवं घोषणा करता/करती हूँ की मैं वास्तविक खेतीहर हूँ मेरे द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत पौधा संरक्षण से संबंधित उपादान वितरण योजना के तहत पौधा संरक्षण उपादान यथा फेरोमोन ट्रैप/फ्रूट फ्लार्ई टैप/स्टिकी ट्रैप/जैव कीटनाशी के क्रय पर अनुदान हेतु दिनांक .....को किया गया है। मेरे द्वारा अनुदान राशि को छोड़कर शेष राशि का भुगतान जिला द्वारा चयनित विक्रेता को कर दिया जाएगा।

मेरे जमीन से संबंधित विवरण निम्नवत है :-

क्र० सं०	कृषक का नाम	खाता/खेसरा संख्या	चौहदी	प्रभावित रकवा (एकड़ में)	उपादान का नाम
					फेरोमोन ट्रैप ( )
					फ्रूट फ्लार्ई टैप ( )
					स्टिकी ट्रैप ( )
					स्टिकी ट्रैप ( )

गवाह के रूप में दो किसानों का नाम, पता, मोबाईल न० एवं हस्ताक्षर निम्नवत है :-

किसान का नाम	पता	मोबाईल न०	हस्ताक्षर

किसान का हस्ताक्षर